

पत्रांक: 11-8 (संख्या 0) / 71 / 1447

दिनांक: 3-9-1991

दिगम्बर जैन सोसाटी फोर चारुलड वेल्फेयर (रजि.)
मथुरा रोड
जगपुरा मोगल
नई दिल्ली - 110004

महोदय/महोदया,

कृपया अपने पत्र दिनांक 5-8-91 का पत्र/सं/440 का तंदर्भ ग्रहण करें जिसमें नोयडा क्षेत्र में विपणन चलाने हेतु भूमि के आवंटन का आग्रह किया गया है।

इस तंदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि नोयडा में कक्षा 6 (ई) से 10+2 तक विपणन चलाने हेतु आपको खण्ड 81 में भूखण्ड संख्या एस-1 ए जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4050 वर्गमीटर है जो 90 वर्ग के प्लॉट पर आवंटित की जाती है। इस भूखण्ड का कुल प्रीमियम केवल 600/- रुपये 1 वर्गमीटर की दर से केवल चौबीस लाख तीस हजार रुपये (केवल 24,30,000/-) यह भूखण्ड निम्नलिखित नियम एवं उपनियमों के आधार पर ही उपरोक्त विपणन चलाने के लिए आवंटित है।

1. 11 आवंटित भूखण्ड का कुल प्रीमियम 24,30,800/- है। जिसका 20% जो कि केवल 4,86,000/- रुपये है। यह आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर जमा किए जाने चाहिए। तदनुसार चालान तैयार है।

12 धारा-111 के अनुसार 20% राशि निर्धारित समय में जमा न कराने पर आवंटन रद्द समझा जाएगा। निर्धारित समय विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य समस्त अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इस दशा धनराशि जमा कराने में हुए विलम्ब के लिए धनराशि पर 24% चक्रवर्ती ब्याज लागू होगा। प्रत्येक समोटी भूत धन में जोड़ा जाएगा।

13 शेष 80% प्रीमियम जो केवल 19,44,800/- रुपये है का भुगतान 16 महीने के अंदर वार्षिक किस्तों में 24% वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा। जब शेष धनराशि पर ब्याज आवंटन की तिथि से लागू होगा। आवंटन की तिथि से 30 दिन के अंदर भूखण्ड का पूरा प्रीमियम जमा करवाने पर आवंटन से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। भूखण्ड के मूल्य का भुगतान किस्तों में किए जाने पर पहली किस्त आवंटन की तिथि से छः माह बाद दिनांक 2-3-92 को कुल बकाया राशि पर आवंटन की तिथि से 24% वार्षिक ब्याज देय होगी। निर्धारित तिथि तक किस्त का भुगतान न किए जाने तक ब्याज की दर मिलाई होगी। यदि किस्त व ब्याज निर्धारित तिथि तक अथवा पहले जमा करवा दी जाती है तो आवंटन की तिथि से 7.5% वार्षिक दर से छूट दी जाएगी।

[Signature]